



परिपत्रक

अप्रैल/मई परीक्षा सत्र 2020 के संदर्भ में...

प्रस्तावना :-

कोरोना वायरस का प्रकोप (कोविड-19) दुनिया में व्यापक है। इस महामारी का दैनिक जीवन पर प्रभाव और इसकी व्यापकता देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग रूपों में देखी जा रही है। इसी पृष्ठभूमि पर मंडल कि परीक्षा का आयोजन और कार्यान्वयन में कठिनाइयों के कारण छात्र निकाय व्याकुल हो गए हैं और हर जगह अनिश्चितता दिख रही है। इससे छात्रों के मन में परीक्षा को लेकर कई संदेह पैदा हो गए हैं। शैक्षिक क्षेत्र कि पवित्रता और परीक्षा प्रणाली के पालन को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करने के लिए मंडल के समक्ष बड़ी समस्याए हैं। मंडल का क्षेत्राधिकार महानगरीय, शहरी, अर्ध-शहरी, ग्रामीण, आदिवासी, पहाड़ी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इस कठिन परिस्थिति में केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा परीक्षाओं के संदर्भ में विश्वविद्यालयों एवं स्कूलों को मार्गदर्शक तत्व तथा निर्देश दिये गये हैं। इन्ही निर्देशों के आधारपर एवं मंडल के सभी केंद्रों पर उपलब्ध उपकरणों तथा जनशक्ति को ध्यान में रखते हुए मंडल ने परीक्षा के संदर्भ में निर्णय लिया है।

Contd.....

-: परिपत्रक :-

मंडल से संलग्नित सभी केंद्र व्यवस्थापक / प्रमुख , सभी मान्यता प्राप्त गुरु / शिक्षक, सहायक शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को कोई संदिग्धता न रहे और उन्हें सही जानकारी प्राप्त हो इस हेतु इस परिपत्रक के माध्यम से अप्रैल/मई 2020 सत्र की परीक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित बातों की जानकारी दी जा रही है ।

1. अप्रैल/मई 2020 सत्र कि प्रारंभिक के सभी परीक्षार्थियों को 50% गुण देकर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा ।
2. प्रवेशिका प्रथम से विशारद प्रथम तक के सभी नियमित (Regular) परीक्षार्थियों को उनकी पिछली परीक्षा के गुणों से औसत (average) निकालकर उस आधार पर गुण दिए जाएंगे और उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा ।
3. प्रवे.प्रथम / प्रवे.पूर्ण और मध्यमा प्रथम कि परीक्षाओं के लिए सीधे (Direct) सम्मिलित होनेवाले सभी परीक्षार्थियों को 50% गुण देकर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा ।
4. विशारद प्रथम परीक्षा में सीधे (Direct) सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थियों कि परीक्षा नव/दिसं 2020 सत्र कि परीक्षाओं के साथ संपन्न कि जाएगी ।
5. विशारद पूर्ण के सभी परीक्षार्थियों कि परीक्षा नवम्बर/दिसम्बर 2020 सत्र कि परीक्षाओं के साथ संपन्न कि जाएगी ।
6. अप्रैल/मई 2020 सत्र में पुनरावर्तक (Repeater) के रूप में आवेदन भरा है, ऐसे सभी परीक्षार्थियों को उनकी पिछली उत्तीर्ण परीक्षा के गुणों के आधार पर गुण दिए जाएंगे और उन्हें भी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा ।
7. उपरोक्त सभी नियम सिर्फ अप्रैल/मई 2020 सत्र के लिए लागू रहेंगे ।
8. अप्रैल/मई 2020 सत्र में सम्मिलित कोई भी परीक्षार्थी अगर चाहे तो, श्रेणी वृद्धी (Upgradation) के लिए फिरसे उसी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है । ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा फल घोषित होने कि तिथि से 30 दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य रहेगा । 30 दिन के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं होगा । परीक्षार्थी को केवल नवम्बर/दिसम्बर 2020 सत्र कि परीक्षाओं के साथ ही परीक्षा में सम्मिलित होने कि अनुमति रहेगी । किसी भी कारणवश अन्य कोई भी सत्र में परीक्षार्थी को प्रविष्ट नहीं किया जाएगा ।

Contd.....

9. श्रेणी वृद्धी के संदर्भ में समय पर संबंधितों को सूचना देना तथा आवेदन पत्र भेजने कि व्यवस्था करना इस कार्य कि संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्रव्यवस्थापक कि रहेगी ।

उपरोक्त जानकारी सभी संबंधितों के ध्यान में लाई जानी चाहिए ।

स्थल:- मुंबई

दि.:- 16/07/2020

भवदीय,
अध्यक्ष
अं.भा.गां.म.वि.मंडल, मुंबई

मूल प्रति माननीय अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित ।

मंडल रजिस्ट्रार के माध्यम से अग्रेषित की जाती है ।

Prayal

रजिस्ट्रार

